(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 64/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 25.09.2024 निर्णय दिनांक : 05.11.2024

1. बिमला देवी पत्नी सत्यप्रकाश जाति अहीर निवासी गोकलपुर, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. – **प्रार्थीया**

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड।
3. घीसाराम पुत्र हरनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम गोकलपुर, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. – **अप्रार्थीगण**

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बहरोड मुकदमा संख्या 01/2023, प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।
उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अंकित स्वामी एड. – प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री सुधीर कुमार एड. – अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी घीसाराम बनाम बिमला देवी वगै0, मुकदमा नम्बर 01/2023 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता को बहस हेतु उचित अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुए। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश कर सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस वकील अप्रार्थी सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किया कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी घीसाराम बनाम बिमला देवी वगै0, मुकदमा नम्बर 01/2023 वाद में वर्णित विवादित आराजी मिन प्रार्थी घीसाराम एक भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एवं धनबल युक्त है और प्रार्थी ऐलानियां कह रहे है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड से हमारी बात हो गई है तथा हमारे पक्ष में फैसला करेगे तथा तुम्हारी भूमि में से रास्ता लेकर रहेगे। प्रार्थी द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से मिन अप्रार्थी को यह आभास हो गया है कि अप्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा। उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई किये ही व बिना जबाब प्राप्त कर मात्र कल्पनाओ के आधार पर ही बहस प्रार्थना पत्र में लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। जिसका आभास पत्रावली में मौजूद तारीख पेशी 05–09–2024 से 17–09–2024 से व 17–09–2024 से 29–09–2024 दर्ज करने से जाहिर होता है। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एंव उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण एंव पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित नही किया गया तो माननीय उपखण्ड अधिकारी बहरोड प्रार्थी के हक में फैसला कर देगे। अन्त में प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही होने की वजह से जिले के अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 03 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये दलील पेश की प्रकरण उपखण्ड न्यायालय बहरोड़ में 251 क का विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी पक्ष द्वारा करीब एक साल से भी अधिक समय से जवाब पेश नही किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.2023 को अन्तिम अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करने पर विधिवत बहस की जाकर प्रकरण आपत्ति प्रार्थना पत्र के निस्तारण में है। प्रार्थी के द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को देरी करने व निस्तारित नही होने की भावना से पेश किया गया है जबकि नियमानुसार 251क का तीन माह में निस्तारण होना चाहिए। अन्त में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को देरी करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावें।

6. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं वकील अप्रार्थी संख्या 03 की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र व बहस में अंकित तथ्य प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़
कोटपूतली–बहरोड़